

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275544
SG-DL-E-18082026-275544असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 174
No. 241]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948	[N. C. T. D. No. 174

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

(स्थायी आदेश)

दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

फा० सं० 2/208/विविध/सीएफ/पार्ट फाइल/2008/248.252.— समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 70 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियमावली, 1993 के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा विशेष सचिव (वित्त विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई तथा निपटान करने के लिए अधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर
कुलभूषण बब्बर, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION****(STANDING ORDER)**

Delhi, the 14th August, 2026

No. F. 2/208/Misc/CF/Pt.File/2008/248-252.— In supersession of all previous notification and in exercise of the powers conferred by Rule 45 of the transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules, 1993, read with Section 70 of the Chit Fund Act, 1982 as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby authorise the Special Secretary (Finance Department), Govt. of NCT of Delhi to hear and dispose the appeals under section 70 of the said Act, on behalf of the State Government with immediate effect.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
KULBHUSHAN BABBAR, Dy. Secy. (Finance)